बिहार सरकार
समाहरणालय, कैमूर (भभुआ)
(आपदा प्रबंधन शाखा)
ddmkaimur@gmail.com

Phone.N0- 06189-223241
Fax N0-06189-223301
Email-dm-bhabhua.bih@nic.in

जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र के लिए सामग्री एवं उपस्कर खरीद की निविदा

आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–1982/आ0प्र0, दिनांक–10.07.2017 के आलोक में जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र के भवन में मॉडल प्राक्कलन के अनुसार पदाधिकारियों के लिए एक कार्यालय कक्ष, सहायकों के लिए वर्क स्टेशन एवं बैठक इत्यादि हेतु सामग्री एवं उपस्कर खरीद हेतु द्वि लिफाफा पद्वति से सामग्री एवं उपस्कर के दर निर्धारण एवं आपूर्त्ति करने के लिए मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है। **इच्छुक आपूर्त्तिकर्त्ता सीलबंद निविदा जिला आपदा शाखा, कैमूर के कार्यालय कक्ष में दिनांक–09.12.2017 के अपराह्न 1.00 बजे तक जमा कर सकते हैं।** प्राप्त निविदाएँ उसी दिन अपराह्न 2.30 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में जिला क्रय समिति के समक्ष खोली जायेंगी, जिसमें स्वयं निविदादाता अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं। सामग्री एवं उपस्कर की विवरणी एवं अन्य शर्तें जिले की बेवसाईट **http://kaimur.bih.nic.in** एवं जिला आपदा प्रबंधन शाखा समाहरणालय, भभुआ से प्राप्त की जा सकती है।

सामग्री की विवरणी एवं अन्य शर्तें निम्न प्रकार हैं:–

क्र0	सामग्री का नाम	यूनिट
1	2	3
1	Desktop Computer - IC 6309 UX.VJSSI.Z27/4G/1TB/"8.5"/03 Years Onsite/4th Gen, Core i5,4460	02
2	Laser jet Printer - Monochrome	02
3	Photostat Machine - ARDF, Automatic Duplex of Multiple original for both photocopy and printing	01
4	Fax Machine with Separate Telephone Connection - High speed Mono Laser Fax Machine	01
5	Multiparty Audio and video conferencing system	01
6	VG400 Voltage stabilizer for upto 1.5 Ton AC (170-270V) (Grey)	02
7	UPS -HB 1650 (24X7)	01
8	Tubular Battery - 1.5 KVA	02
9	A/C (1.5 ton)	02
10	Scanner- Scanjet Pro 4500 fn-1 Network Scanner	01
11	Workstation Table	04
12	Workstation Revolving Chair	04
13	Extra Chair - Mid Back	04
14	Table	01
15	Revolving Chair - High back	01
16	Visitor's Chair	04
17	Meeting Table -For 12 person	01
18	Revolving Chair for Meeting Table	12
19	Extra Chair- Plastic Chair Grade-1	10
20	Almirah- Storwel Plain PLU 6 Door	02

V,

* * * * *

निविदा की शर्तें :–

1. निविदा के रूप में तकनीकि निविदा एवं वित्तीय निविदा सभी कागजात के साथ अलग–अलग शील्ड लिफाफों में जमा करना होगा।

तकनीकि निविदा :–

1. तकनीकि निविदा के साथ वाणिज्यकर विभाग का निबंधन प्रमाण–पत्र, आयकर विभाग द्वारा निर्गत पैन कार्ड की छाया प्रति एवं दो वर्षों (2015–16 एवं 2016–17) का वार्षिक आयकर रिटर्न का प्रमाण–पत्र देना होगा।
2. निविदादाता द्वारा मो0 10,000.00 (दस हजार) रूपये जमानत राशि का बैंक ड्राफ्ट निविदा के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक है, जो जिला पदाधिकारी, कैमूर पदनाम से कैमूर में विकलनीय होगा।
3. निविदादाता/फर्म को काली सूची में नहीं होने से संबंधित शपथ पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।
4. निविदा दस्तावेज के साथ संलग्न सभी कागजात स्वअभिप्रमाणित कर संलग्न करना आवश्यक होगा।

वित्तीय निविदा :–

1. वित्तीय निविदा में सभी सामग्री का दर प्रति यूनिट सभी कर एवं परिवहन व्यय सहित अंकित करना होगा।
2. निविदा में आपूर्त्ति किये जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता स्पष्ट रूप से अंकित होनी चाहिए।
3. इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की वारंटी के साथ वार्षिक रख–रखाव का व्यय भी अलग से कोट करना होगा।

अन्य शर्तें :–

1. निविदादाताओं में से स्वीकृत निविदादाता को इस आशय का एकरारनामा करना होगा कि आपूर्त्ति आदेश के पन्द्रह दिनों के अन्दर स्वीकृत नमूना के अनुरूप उचित संख्या, साईज, गुणवत्ता एवं मात्रा के अनुसार सामानों की आपूर्त्ति निश्चित् रूप से कर देंगे एवं निर्धारित तिथि तक जिला आपदा प्रबंधन शाखा, कैमूर के कार्यालय कक्ष में पहुँचा देंगें।
2. निविदा में अंकित मूल्य पर जिला आपदा प्रबंधन शाखा, कैमूर में सामग्री की आपूर्त्ति करनीहोगी। इसके लिए अलग से परिवहन व्यय देय नही होगा।
3. निविदा खोलने के दिन सभी सामग्री का ब्राउसर साथ में लायेगें ताकि उनकी डिजायन एवं उपयोगिता की जानकारी प्राप्त की जा सके।
4. स्वीकृत किये गये नमूने के अनुरूप सामग्री की आपूर्त्ति नहीं किये जाने पर आपूर्त्तिकर्त्ता के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई करते हुए आपूर्त्ति की गयी सामग्री का कोई भुगतान नही किया जायेगा एवं जमानत की राशि जब्त कर ली जायेगी साथ ही आपूरित सामग्री आपूर्त्तिकर्त्ता को वापस ले जानी होगी, इसके लिए किसी प्रकार की क्षतिपूर्त्ति भुगतान का दावा अमान्य होगा।
5. स्वीकृत आपूर्त्तिकर्त्ताओं के द्वाराससमय आदेशित सामग्री की आपूर्त्ति नही किये जाने की स्थिति में आवश्यकता के मद्देनजर अन्य निविदादाताओं या अनुमोदित दर पर आपूर्त्ति ली जा सकती है।
6. सामग्री की आपूर्त्ति हेतु किसी भी प्रकार का अग्रिम देय नहीं होगा।
7. स्वीकृत एल–1 एवं एल–2 निविदादाताओं को छोड़कर शेष जमानत राशि उसी दिन वापस कर दी जायेगी।
8. बिना कारण बताये निविदा रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
9. कोई भी निविदा या दावा कैमूर जिला न्यायिक क्षेत्र के अधीन होगा।
10. आपूर्त्ति की गई सामग्री के विरूद्ध भुगतान हेतु समर्पित विपत्र से नियमानुसार CGST/SGST/आयकर देय होगा, जिसकी कटौती एकमुश्त भुगतान के समय की जायेगी।
11. सामग्री इंस्टालेशन की व्यवस्था निविदाकर्त्ता को हीं करनी होगी उसके लिए अलग से किसी प्रकार की देयता नहीं होगी।
12. सामग्री की गुणवत्ता को दृष्टि में रखते हुए न्यूनतम दर के निविदाकर्त्ता को अधिमानता दी जायेगी।
13. निविदा में अंकित अथवा अनुलग्नक की विशिष्टता से भिन्न सामग्री की वित्तीय निविदा को मान्यता नहीं दी जायेगी।

जिला पदाधिकारी
कैमूर (भभुआ)